

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 368/13

संस्थापन दिनांक:-19/09/13

फाईलिंग नं. 233504001122013

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

राजू पिता देवराम कुंभी,  
 उम्र 37 वर्ष, निवासी लालावाड़ी,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- ( नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 07.09.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 12.09.2013 को 10:30 बजे या उसके लगभग ग्राम लालावाड़ी मंदिर चौक के पास लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 11 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 12.09.2013 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह जरिए टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त लालावाड़ी मंदिर के पास अवैध रूप से हाथ में चाकू छुरी लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त अवैध रूप से एक लोहे की धारदार छुरी लेकर रंगे हाथ मिला जिससे छुरी रखने के संबंध में कागजात पूछने पर नहीं होना बताये जाने पर गवाहों के समक्ष एक लोहे की धारदार छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 319/13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.09.2013 को 10:30 बजे या उसके लगभग ग्राम लालावाड़ी मंदिर चौक के पास लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 11 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 12.09.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर उसने हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 319/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की थी। साक्षी ने रवानगी एवं वापसी सान्हा प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 को प्रमाणित किया है। साक्षी ने आर्टिकल-ए की छुरी को वहीं छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त की थी।

6 साक्षी परसराम (अ.सा.-1) ने उसके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त की पहचान करते हुए प्रकट किया है कि घटना एक वर्ष पुरानी ग्राम लालावाड़ी की है। घटना के समय गोलू और राजू चाकू लेकर घूम रहे थे और उन्हें डरा रहे थे तथा उसकी किराना दुकान पर आकर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त राजू से एक चाकू जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक बनाया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक बनाया था। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किये हैं।

7 यादोराव (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साथ ही साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी

इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

8 यादोराव (अ.सा.-2) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। परसराम (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 2 में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि अभियुक्त राजू ने चाकू छुरी लेकर किसी को नहीं धमकाया था। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि थाना आमला में अभियुक्त को गिरफ्तार कर कागज बनाये गये थे और थाने में ही जप्ती की कार्यवाही की गयी थी परंतु चाकू उसने नहीं देखा था। साथ ही साक्षी ने थाने पर ही कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किया जाना बताया है। इस प्रकार उक्त साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है जिससे कि साक्षी पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

9 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.-2) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। साक्षी परसराम (अ.सा.-1) विश्वसनीय नहीं पाया गया है। अतः प्रकरण में एकमात्र साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर. 1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः तर्क के परिप्रेक्ष्य में विवेचक बिसनसिंह की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

10 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ मौका स्थल ग्राम लालावाड़ी पहुंचने पर अभियुक्त राजू के हाथ में धारदार छुरी लेकर लोगों को डराया धमकाया जाना बताया है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त से लोहे की धारदार छुरी की जप्ती एवं उसे गिरफ्तार करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 4 में उक्त साक्षी ने यह सही होना बताया है कि जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) पर नमूना सील नहीं लगी है तथा इस सुझाव को गलत बताया है कि थाने में बैठकर उसने संपूर्ण कार्यवाही की थी।

11 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने अपने कथनों में यह प्रकट नहीं किया है कि जप्तशुदा आयुध की नापजोख किससे की गयी थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जप्तशुदा आयुध प्रतिबंधित आकार प्रकार का है अथवा नहीं। साथ ही जप्तशुदा आयुध की जप्ती का समर्थन किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा नहीं किया गया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी के उपरांत तैयार किये गये होंगे। साथ ही गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी के समय में ओव्हर राईटिंग की गयी है। विवेचक द्वारा की गयी उपर्युक्त कार्यवाही उसके द्वारा की गयी जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बनाती है। अतः

: एकमात्र विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-3) के कथनों के आधार पर अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

12 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 12.09.2013 को 10:30 बजे या उसके लगभग ग्राम लालावाड़ी मंदिर चौक के पास लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 11 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त राजू को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)